	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024* *Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 07, 2024

संख्या प. 2(28)वन/2024 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है

और चूकि कि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है

और चूकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नही किया गया है

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम संख्या (13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 7 8 10 11 (1) 12 14 17 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्त अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी

भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु-पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण		विवरण		
				दिशा	सीमा विवरण	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूण्डल	राजसमन्द	राजसमन्द	उत्तर	सीमा ग्राम सिरोडी एवं ग्राम भूण्डल की खातेदारी भूमिया	ग्राम भूण्डल पटवार सर्किल धांयला तह. राजसमन्द	433	58 बीघा 04 बीस्वा या 9.4211 हैक्ट.
				पूर्व	सीमा ग्राम घायला एवं ग्राम भूण्डल की खातेदारी भूमिया		434	56 बीघा 0 बीस्वा या 9.0649 हैक्ट.
				दक्षिण	ग्राम भूण्डल की खातेदारी भूमिया	योग		114 बीघा 04 बीस्वा, या 18.4860 हैक्ट.
				पश्चिम	आम रास्ता सरहद ग्राम भूण्डल			

सुदर्शन शर्मा,

उप वन संरक्षक,

वन्यजीव राजसमंद।

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द

दितीय अनुसूची

1 क्षैत्र में पाये जाने वाले पेडों की सूची:-

Sr. no.	Comman Name	Botanical Name
1	देशी बबुल	acacia nilotica
2	नीम	azadirachta indica
3	अग्रेजी बबुल	prosopis juliflora

सुदर्शन शर्मा,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव राजसमंद।

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

वनखण्ड भूण्डल

रेंज राजसमन्द

वन मण्डल वन्यजीव राजसमन्द

1 संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमश गैर मुमकिन पहाड़/ गैर मुमकिन भाखर/ मगरा/ गैर कृषि पायती चारागाह जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नंबरों का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों के वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य करना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित/ रक्षित वन घोषित करने के लिये जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3 वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य नही कराए गए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4 भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.005 है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड मे प्रमुख प्रजातियों में देशी बबूल विलायती बबूल नीम आदि का लगभग 5 प्रतिशत क्रमश है तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजकीय भूमि (राजस्व बंजर/ चरागाह/ खातेदारी/गैर काबिज काश्त भूमि है) तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।

6 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्षे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी.शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7 प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

सुदर्शन शर्मा,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव राजसमंद।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।